

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय अनिशय कर जना

30-7-21

उमर पक्ष उपस्थित पीटारीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 31-8-21 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

31-8-21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपास्थित वकील
प्रार्थी विपक्षी सं. 2 लगायत 7 की तामिल हेतु
प्रोसेस सम्मन पेश करे। पेश होने पर जारी हो।
वास्ते पत्रावली में विपक्षीगण की तामिल देवने
हेतु नियत दिनांक 30-9-21 को पेश हो।

29¹⁰/₂₁

पत्रावली प्रशासन गाँवों के लगे अभियान 2021
कैम्प ग्राम पंचायत ~~अधिकाधिक~~ भाइ में पेश
हुई। परवार हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट पेश
हुई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया।
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर
निर्णय प्रपक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली
किया गया। पत्रावली फैसल कुमार ठोकर नम्बर
से कम ले।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

संख्या :- 42/21 प्र. पत्र
श्री. लाल श/सी हाथीलाल शूडा (मवाला) निवासी - भाद्रु तहसील

बनाम
श्री. लाल श/सी हाथीलाल शूडा (मवाला) निवासी - भाद्रु तहसील (विपक्षीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 29-10-21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर
दिया कि ग्राम.....³¹¹³.....पटवार हल्का भाद्रु.....तहसील मांडल/में उसके
संबंधित खातों की आराजी नं.....1675.....कुल किता01.....
बा.....हेक्टर.....स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी
दायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते
व्युक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 24.3.21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण का
वलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का
धिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेश
नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक
द्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम भाद्रु
वार हल्का भाद्रु.....तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 1675
.....कुल किता 01.....रकबा.....हेक्टर.....
म के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है।
पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक.....को 400/-
के कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें।
कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील
दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला- भीलवाड़ा

प्रमाणित किया गया कि 2021

तिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थर गद्दी की
कर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी

डॉ. पूजा सक्सेना

मांडल, जिला- भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी मांडल

प्रमाणित किया गया कि 2021